राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान

निदेशालय आयुर्वेद विभाग,परिसर– अजमेर 305001
e -mail–adcayurvedjaipur@gmail.com

क्रमांक : प.8/ड्रग्स/लाई/2022/2077-78 दिनांक : 29/8/22

मैसर्स बालाजी नेचुरोकेयर,
56, सारणेश्वर नगर, करोटी
तह. रेवदार, जिला– सिरोही (राज.)

विषय : जी. एम. पी. प्रमाण पत्र अवधि वृद्धि के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई/कम्पनी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियम 1945 के तहत फार्म 26 ई–1 मे जी.एम.पी. प्रमाण पत्र दिनांक 24.06.2022 से 23.06.2027 तक अवधि वृद्धि जारी कर, इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित किये जा रहे है। कृपया, प्राप्ति से इस कार्यालय को अवगत करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अनुज्ञापन प्राधिकारी (आयुर्वेद)

क्रमांक : प.8/ड्रग्स/लाई/2022/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– 1. औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद), सिरोही (राजस्थान)।

अनुज्ञापन प्राधिकारी (आयुर्वेद)

No. R

FORM 26-E-1

(See Rule 155-B)

IN THE CONTINUATION OF CERTIFICATE OF

GMP

GOOD MANUFACTURING PRACTICES

It is certified that Manufacturing Unit, Namely बालाजी नेचुरोकेयर, 56, सारणेश्वर नगर, करोली, तह: रेवदार, जिला - सिरोही *State Rajasthan Licence No.* 791-AYU. *who complied with the requirement of Good Manufacturing Practices (GMP) of Ayurveda-Unani Drugs as laid down in Schedule "T" of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945 was granted Good Manufacturing Practices Certificate (GMP) on* 23:03:2018 *for a period of three / five years. Which has expired on* 23:06:2022 *The GMP Accreditation Certificate Granted earlier is hereby Extended for a further period of five year w.e.f.* 24:06:2022 ते 23:06:2027

DATE :

PLACE : अजमेर

Licensing Authority
Ayurved Rajasthan, Jaipur (Raj.)